तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो कि हुक्म की तामील में जारी हुए
15/10/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी अनिल सुमन की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी अनिल आ0 स्व0 लटूर जी जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा का रहने वाला है जिसकी प्रार्थना है कि खाता संख्या नया 9 पुराना 79 वाके माल गिरधरपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा की जमाबंदी संवत् 2070–2023 में खसरा नं0 165, 166, 167, 168/336 कुल खसरे 4 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि स्थित है जिसमें मेरे पिता लटूर आ0 सांवरिया हिस्सा 1/9 दर्ज चला आ रहा है। उक्त खाते में ही एक अन्य व्यक्ति रामा पुत्र सांवरिया हिस्सा 1/9 दर्ज हो रहा है काफी जानकारी करने के बाद पाया गया है कि मेरे दादा के परिवार में रामा नाम को कोई व्यक्ति नहीं था, न जाने केसे कम्प्युटराइज्ड़ रिकॉर्ड दर्ज करने पर मेरे दादाजी के मेरे दो पुत्र घोषित कर दिये गये है जबकि मेरे दादाजी के एक मात्र पुत्र स्व0 लटूर जी हीह" जो मेरे पिता है। जिनका दिनांक 05.06.2025 को देहान्त हो चुका है एवं मेरी दादी मुस्सामता सलूरी पत्नी सांवरिया जी का भी देहान्त हो चुका है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप उपरोक्त जमाबंदी में से रामा पुत्र सांवरिया जाति माली निवासी गिरधरपुरा की गहनता से जांच करवाकर नाम डिलीट करवाने का आदेश प्रदान करे। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा कथन किया गया कि खाते में सांवरिया के दो पुत्र रामा व लटूर दर्ज किये गये है जबकि सांवरिया के एक मात्र पुत्र रामलटूर था। ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि सांवरिया के परिवार में रामा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है उनके वारिस में केवल एक पुत्र रामलटूर व पत्नी सलूरी ही थे। अतः जमाबंदी में सहवन से रामलटूर के स्थान पर रामा व लटूर दो अलग अलग नाम दर्ज कर दिये गये है। दस्तावेज एवं पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि रामा पुत्र सांवरिया एवं लटूर पुत्र सांवरिया दो अलग अलग व्यक्ति न होकर एक ही पुत्र रामलटूर पुत्र सांवरिया है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी अनिल सुमन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम गिरधरपुरा के खाता सं0 91 में रामा पुत्र सांवरिया एवं लटूर पुत्र सांवरिया के स्थान पर रामलटूर पुत्र सांवरिया दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 15/10/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	